निगरानी /2016

प्रस्तुती दिनांक .....

रा.रा. माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, मोती महल, ग्वालियर।

(10)

1. भाईराम पिता मोतीराम गुजर
   उम्र 62 वर्ष, धंधा– कृषि
2. दुरपताबाई पिता मोतीराम गुजर
   उम्र 50 वर्ष, धंधा – गृहकार्य
3. श्रीमती सरस्वतीबाई बेवा मोतीराम गुजर
   उम्र 85 वर्ष, धंधा – गृहकार्य
   सभी निवासी – ग्राम जेठवारा तहसील – बडवाह
   जिला – खरगोन। .....प्रार्थीगण (अनावेदकगण)

विरूद्ध

1. भीकाजी पिता जयरामजी गुजर,
   आयु – 75 वर्ष,
2. बबुलाल पिता भीकाजी गुजर,
   आयु – 46 वर्ष
3. भगवान पिता काशीरामजी गुजर,
   आयु – 55 वर्ष
4. दुर्गराम पिता भगवानजी गुजर,
   आयु – 39 वर्ष
5. नारायण पिता बंशीरामजी गुजर,
   आयु – 52 वर्ष,
   सभी व्यवसाय कृषि,
   सभी निवासी– ग्राम जेठवाडा तहसील बडवाह जिला खरगोन (म.प्र.)।

.....प्रतिप्रार्थीगण (आवेदकगण)

निगरानी धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत विद्वान तहसीलदार बडवाह जिला खरगोन जिला पश्चिम निमाड के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक /03/अ/13/14/15 में दिनांक 06.08.2016 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 131 म.प्र. भू.राज. के अंतर्गत रास्ते की रोक हटाने का आवेदन पत्र

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3448-पीबीआर/16 [माईराम/भीकाजी]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बडवाह जिला खरगोन के प्रकरण क्रमांक 3/2014-15/अ-13 में पारित आदेश दि.6-8-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की मालिकी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 109 की भूमि पर से रास्ता दिया गया है इसलिये आवेदकगण को अपूर्णनीय आर्थिक क्षति होगी जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद अनावेदक को अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है । इस स्तर पर निगरानी में हस्तक्षेप के आधार नहीं है । अत: तहसीलदार बडवाह जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दि. 6-8-2016 स्थिर रखते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का दो माह में अंतिम निराकरण करें । अध्यक्ष	